अनुदान संख्या 70 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 70–MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	3106,62,00	27256,64,00	26888,40,34	–368,23,66
पूरक	Supplementary	24150,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				–32,19,21
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
पूरक	Supplementary	528,58,00	528,58,00	528,58,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2802" पेट्रोलियम	Major Head "2802" Petroleum				
मू.	O.	309500.00	2721298.32	2687705.32	–33593.00
पू.	S.	2415002.00			
पु.	R.	–3203.68			

(I) अगस्त, 2006 में प्राप्त किया गया 1.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of Rs.1.00.lakh obtained in August, 2006 remained wholly unutilised under one head.

(II) 'सामान्य - घरेलू एलपीजी और कैरोसीन (पीडीएस) प्रचालनों में की गई कम वसूलियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में तेल विपणन कंपनियों को अदायगी' - 2415000.00 लाख रु. की निधियां अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 तथा मार्च,

(II) Under "General - Payment to Oil Marketing Companies as Compensation for under recoveries in their domestic LPG & Kerosene (PDS) Operations" - funds of Rs.2415000.00 lakhs

2007 में पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराईं गईं थी तथापि, जो तेल विपणन कंपनियों द्वाराम्रास्तविक कम वसूलियों पर किए गए खर्च के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा तेल बांडो को जारी किए जाने के कारण 2900.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता'' -

(क) '' घरेलू एलपीजी और पीडीएस कैरोसीन पर आर्थिक सहायता'' - 37624.23 लाख रु. की बचत (290000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा सहायता'' - 473.32 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मार्च, 2007 के लिए बिलों की अनंतिम अदायगी/अदायगीन किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड'' - 1498.07 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड द्वारा पूरी तरह से कार्य शुरू नकिए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5714.60 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''सामान्य - प्रशासनिक मूल्य निर्धारण के अंतर्गत तेल कंपनियों को अपने दावों के निपटान के लिए अदायगी'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड'' - 4704.45 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 4703.45 लाख रु. था।

(खा) ''भारतीय तेल निगम लिमिटेड'' - 200.86 लाख रु.।

(गा) ''भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड'' - 291.68 लाख रु.।

(घा) ''आयल इंडिया लिमिटेड'' - 517.61 लाख रु.।

were provided by obtaining supplementary grants in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 which, however, remained unutilised to the extnet of Rs.2900.00 lakhs - due to release of Oil Bonds by the Ministry of Finance based on the actual under recoveries incurred by the Oil Marketing Companies.

(III) Under "General" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(a) "Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" - saving of Rs.37624.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290000.00 lakhs); and

(b) "Freight subsidy on retail products for far flung areas" - saving of Rs.473.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to provisional/non-payment of bills for March, 2007.

(B) "Other Expenditure - Petroleum Regulatory Board" - saving of Rs.1498.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to Petroleum Regulatory Board not being fully functional owing to administrative reasons.

2. The above savings were partly (Rs.5714.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under "General - Payment to Oil Companies in Settlement of their claims under Administrative Pricing" - under the following heads:-

(A) "Oil and Natural Gas Corp. Ltd." - Rs.4704.45 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4703.45 lakhs.

(B) "Indian Oil Corp. Ltd." - Rs.200.86 lakhs.

(C) "Bharat Petroleum Corp. Ltd." - Rs.291.68 lakhs.

(D) "Oil India Ltd." - Rs.517.61 lakhs.